<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 14.12.2017 को आयोजित विशेष बैठक (Relief measures by banks in areas affected by Natural Calamities) के कार्यवृत</u>

खरीफ 2017 में सूखे से फसल खराबा के आंकलन व प्रभावित कृषकों को राहत के संबंध में दिनांक 14.12.2017 को विशेष राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की विशेष बैठक (Relief measures by banks in areas affected by Natural Calamities) का आयोजन किया गया. बैठक में श्री प्रमोद प्रधान, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर, श्री एन. सी. उप्रेती, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, श्री प्रमोद कुमार, उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री हरिमोहन, संयुक्त सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार, श्री बी.एस. जाट, संयुक्त सचिव, आयोजना (संस्थागत वित्त), राजस्थान सरकार, श्री रामवतार शर्मा, अति. निदेशक आयोजना (संस्थागत वित्त), राजस्थान सरकार, तथा विभिन्न बैंकों के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. (संलग्न सूची के अनुसार)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान श्री एन. सी. उप्रेती ने एसएलबीसी की विशेष बैठक में उपस्थित सभी हितधारकों/सदस्यों का स्वागत किया तथा सदन को उक्त बैठक के आयोजन के उद्देश्य तथा महत्ता के बारे में अवगत करवाया.

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 1(4)/आ.प्र.एवं सहा./ सामान्य/2017 /12930-49 दिनांक 16.11.2017 से खरीफ 2017 में सूखे के कारण फसल खराबा होने की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज़ (संस्पेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स) एक्ट, 1952 के तहत राज्य के 13 जिलों में कुल 4151 गांवों को गंभीर सूखाग्रस्त (Sever Category Drought affected) के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया है. जिलेवार अधिसूचित गावों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**जिला**	**तहसील**	**प्रस्तावित प्रभावित गांवो की संख्या**
1	बाड़मेर	10	1717
2	भीलवाडा	3	191
3	बीकानेर	3	52
4	चुरू	3	174
5	डूंगरपुर	1	106
6	श्री गंगानगर	1	25
7	हनुमानगढ़	3	141
8	जयपुर	3	328
9	जैसलमेर	4	645
10	झुंझुनू	2	131

11	जोधपुर	2	193
12	नागौर	1	24
13	सवाई-माधोपूर	5	424
कुल योग		**41**	**4151**

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि उपरोक्त अधिसूचना प्राप्त होने के पश्चात हमारे कार्यालय के पत्रांक ज.अं./एस.एल.बी.सी./2017-18/1605 दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अग्रणी जिला प्रबन्धक, बाड़मेर, भीलवाडा, बीकानेर, चुरू, डूंगरपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर एवं सवाई-माधोपुर को विशेष डीसीसी बैठक (Relief measures by banks in areas affected by Natural Calamities) आयोजित करने एवं उसके कार्यवृत प्रेषित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है. इसके साथ ही उन्होने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के बिन्दुवार चर्चा के लिए महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक को आमंत्रित किया.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर ने सूचित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या RBI/FIDD/2017-18/55 Master Direction FIDD.Co.FSD. BC.No.8/05.10.001/2017-18 दिनांक 03.07.2017 की अनुपालना में स्पेशल एसएलबीसी बैठक का आयोजन किया जा रहा है. उन्होने परिपत्र में निहित बिन्दुओं पर प्रकाश डाला एवं निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए:

- सभी बैंकों के पास उनके निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित प्राकृतिक आपदा से संबधित पॉलिसी उपलब्ध है जिसके अनुसार प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्र में पीड़ित लोगो के ऋण चुकोती में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए बैंक नियमनुसार ऋणों के पुनर्गठन हेतु समस्त बैंक नियन्त्रक अपने बैंक की शाखाओं को निर्देशित करे.
- अग्रणी जिला प्रबन्धकों को विशेष डीसीसी आयोजित करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर की अनुपलब्धता के चलते डीसीसी बैठक को किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं करें तथा जिला प्रशासन के अन्य उच्च अधिकारीयों की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करे.
- उन्होने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. RBI/2017-2018/38 FIDD.CO.FSD.BC.No.13/ 05.10.006/2017-18 दिनांक 03.08.2017 का संदर्भ देते हुए कहा कि आपदा से संबन्धित ऋणों के पुनर्गठन की सूचना बैंकों के कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा आरबीआई के बेब पोर्टल पर अगले महीने की 10 तारीख तक की जानी है एवं राजस्थान सरकार द्वारा आपदा से संबन्धित जारी परिपत्र को आरबीआई के वेब पोर्टल पर अद्यतन करने हेतु एसएलबीसी को निर्देश प्रदान किए.

उप महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर ने बताया कि प्राकृतिक आपदा होने की स्थिति में ग्रामीण बैंकों व कॉ-आपरेटिव बैंक के लिए नाबार्ड के परिपत्र संख्या क्रमशः 147 व 146 दिनांक 13 जून, 2017 के

अनुसार कार्यवाही करें एवं इस परिपत्र की प्रति एसएलबीसी, एवं कॉ-ओपरेटिव बैंक, दोनों ग्रामीण बैंकों को शीघ्र ही उपलब्ध करवा दी जावेगी.

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या RBI/ FIDD/2017-18/55 Master Direction FIDD.Co.FSD. BC.No.8/05.10.001/2017-18 दिनांक 03.07.2017 के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के मुख्य बिन्दुओं से अवगत करवाया. विभिन्न बिन्दुओं पर की गई चर्चा का विवरण निम्नानुसार है :

पैरा क्रमांक	भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या RBI/ FIDD/2017-18/55 Master Direction FIDD.Co.FSD. BC.No.8/05.10.001/2017-18 दिनांक 03.07.2017	चर्चा का सार/विवरण
4.1	कृषि ऋण : अल्प कालीन फसल एवं उत्पादन ऋणों के बारे में	4.1.1 सभी प्रभावित कृषक जिनका कृषि ऋण खाता Date of occurrence of Natural Calamities (16.11.2017) को अतिदेय नहीं है, उन सभी कृषकों के अल्पकालीन ऋण खाते (KCC) Restructuring हेतु पात्र होंगे. प्रभावित क्षेत्रों के कृषकों को फसल उत्पादन हेतु चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त अल्पकालीन ऋण (केसीसी) जो प्राकृतिक आपदा की घटना के समय बकाया (मूलधन व ब्याज) हों, उन्हे Restructure कर मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित करने हेतु पात्र समझा जाये.
4.1.2	Restructure ऋण के लिए ऋण चुकता अवधि एवं Moratorium Period	4.1.2 Restructure ऋण के लिए ऋण चुकता अवधि अधिकतम 2 वर्ष (एक वर्ष Moratorium Period सम्मलित करते हुए) होगी, यदि फसल हानि 33% से 50% है एवं फसल हानि 50% से अधिक है तो यह अवधि अधिकतम 5 (एक वर्ष Moratorium Period सम्मलित करते हुए) वर्ष हो सकती है.
4.1.3	Collateral Security	4.1.3 सभी तरह के Restructure ऋण के लिए Moratorium Period कम से कम 1

		वर्ष होगी लेकिन ऐसे ऋण के लिए बैंकों के द्वारा अतिरिक्त collateral Security नहीं मांगी जावेगी.
4.2	Agriculture Loans : Long Term (Investment) Credit	4.2.1.1 यदि प्राकृतिक आपदा में उस वर्ष की फसल नष्ट हो गयी है एवं उत्पादक संपत्ति (Productive Assets) की हानी नही हुई है उस स्थिति में. 4.2.1.3 ऐसे ऋण की उस वर्ष के किश्त को reschedule कर सकते है एवं उसके ऋण की समयावधि भी एक वर्ष के लिए बढ़ा सकते है. 4.2.1.2 यदि उत्पादक संपत्ति की आंशिक एवं पूर्ण हानि हुई है एवं ऋणी को नए ऋण की आवश्यकता है उस स्थिति में 4.2.1.4 ऐसे ऋणी की Repaying Capacity (Total Loan Liability - {Subsidy received from govt.+Compensation available under the insurance company}) को देखते हुए ऋण समयावधि को बढ़ा सकते है एवं Restructure की समयावधि case to case basis पर निर्भर करेगी लेकिन यह अवधि 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती है.
4.3	Other Loans	क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा को देखते हुए बैठक में निर्णय के अनुसार अन्य ऋण (Allied activity, Rural Artisan, traders, micro/small industrial units or in case of extreme situations, medium enterprises is required) reschedule के लिए पात्र होंगे एवं उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके वसूली की समयावधि को उस विशेष समय के लिए (Case to Case basis) टाला जा सकता है. नये ऋण के लिए बैंक स्वयं के नियमानुसार निर्णय लें.

4.4	Asset Classification	Short term loan एवं Long term loan के Restructure हिस्से को current dues माना जाये एवं उसे NPA classified नहीं किया जाय
5.1	Sanctioning of Fresh Loans	5.1.1 क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा को देखते हुए डीएलआरसी/डीएलसीसी में निर्णय के अनुसार फसल के Scale of Finance के अनुसार नये ऋण प्रदान करें. 5.1.2 प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति को उसकी आवश्यकता को देखते हुए कृषि एवं कृषि सम्बद्ध गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करें 5.1.3 बैंक के द्वारा वर्तमान ऋणी को राशि रू 10000/- का Consumption Loan (without Collateral) दिया जाय. बैंकों के द्वारा यह सीमा बढ़ायी जा सकती है.
5.2	Term and Conditions	नये ऋण के लिए बैंकों के द्वारा Sympathetic View लिया जाय एवं व्यक्तिगत गारंटी अथवा अतिरिक्त Collateral Security की मांग नहीं की जाय.
5.3	Rate of Interest	ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार ही बैंकों द्वारा चार्ज किया जाय एवं पेनल ब्याज प्रभारित नहीं किये जाय.
6.1	Relaxation on Know Your Customer (KYC) Norms	प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में KYC में छूट प्रदान करते हुए पीड़ित व्यक्ति के फोटो एवं हस्ताक्षर के आधार पर Small Account खोलें जावें
6.2	Providing access to Banking Service	भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति पर बैंक प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में अथवा अन्य क्षेत्र में अस्थायी रूप से बैंक शाखा/एटीएम खोल सकते हैं.

<u>प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय - वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी-दिशा निर्देशों के बाबत</u>

प्रभावित क्षेत्रों के कृषकों को फसल उत्पादन हेतु प्रदत्त ऋण के मामले जहां अल्पकालीन ऋण मध्यमकालीन में परवर्तित किया गया है. परिवर्तित राशि (Restructure Amount) जो कि फसल उत्पादन ऋण से संबन्धित है उस पर बैंकों को 2% की दर से प्रथम वर्ष हेतु ब्याज अनुदान (Interest Subvention) उपलब्ध रहेगा. कृषक को उक्त ऋण एक साल हेतु 7% की दर से उपलब्ध रहेगा तदुपरान्त आगामी वर्षों में सामान्य ब्याज दर लागू रहेगी.

<u>भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा Restructure ऋण की पूर्व निर्धारित प्रारूप मांगी जाने वाली की त्रैमासिक सूचना</u>

आज की बैठक के निर्णयानुसार बैंकों द्वारा किये गए Restructure ऋण की दिसम्बर तिमाही तक की सूचना संलग्न प्रारूप में तिमाही समाप्त होने के 10 दिन के अंदर एसएलबीसी को प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया. प्रारूप एजेंडा के साथ संलग्न है.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैठक में उपस्थित मंचासीन सदस्यों सहित सभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के अधिकारियों एवं बैंकर्स का धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

****